न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47/2019

1 मातुराम पुत्र सेडूराम उम्र 73 साल जाति जाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुमित्रा पुत्री सांवरमल पत्नी मोतीराम उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ग्राम पिपल का बास, तहसील मलसीसर, हाल निवास गोदारा का बास, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सहायक कस्टोडियन अधिकारी/मैनेजिंग अधिकारी, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्योकरण पुत्र सेडूराम उम्र 67 साल जाति जाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा नम्बर 161/2016 उनवानी मातुराम वगै. बनाम सहायक कस्टोडियन अधिकारी वगै.

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 161/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस/वादीगण ने एक दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं जमीन हाल खसरा नम्बर 1799 रकबा 1.82 हैक्टेयर (गत खसरा नम्बर 1620 रकबा 1.82 हैक्टेयर तथा उसके पुराने खसरा नम्बर 446 रकबा 7 बीघा) वाके ग्राम नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू के वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की सिद्धी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

चाही थी। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 28.03.2019 से वादीगण/अपीलान्टस का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में विवादित भूमि अपीलान्टस संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तथा अपीलान्टस संख्या 2 के पिता सांवरमल ने, तो कि तीन भाई थे, तात्कालिक ठिकाने से काश्त हेतु ली थी तथा तात्कालीक ठिकाने को इसका लगान अदा करते थे। तत्पश्चात सम्वत 2012 (सन् 1955) में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर विवादित भूमि की भूमिधारी राजस्थान सरकार हो गई तथा सन् 1955 में विवादित भूमि पर इन तीनों का कब्जा काश्त होने के कारण विवादित भूमि के खातेदारी/काश्तकारी अधिकार स्वतः ही इन तीनों को मिल गये। अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तथा अपीलान्ट संख्या 2 के पिता सांवरमल तीनों भाई थे, और इनके पिता सेडूराम का देहान्त काफी समय पूर्व हो गया था इस कारण सबसे बड़े भाई तथा कर्ता खानदान होने के कारण सांवरमल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का कब्जा काश्त होने के कारण ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इनको निष्क्रान्त भूमि मानकर नोटिस भी दिये गये तथा 16.05.1981 को विधि की प्रकिया अनुसार अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक में पट्टा जारी किया गया। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि गलत रूप से निष्क्रान्त भूमि दर्ज रही जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं ना ही अपने निर्णय दिनांक 28.03.2019 में इस तथ्य के बारे में कोई निष्कर्ष लिखा है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 1 लगायत 5 को सरसरी रूप से तय कर दिया तथा कही भी प्रदर्श 1 सनद के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया। प्रदर्श 1 सनद है वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जारी की गई है तथा यह साबित करती है कि राजस्थान काश्तकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का कब्जा काश्त था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आर्डर स्पीकिंग नहीं है तथा विरूद्ध पत्रावली है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव आने के समय अर्थात सम्वत 2012 में किसी जमीन पर कृषि प्रयोजनार्थ काबिज है तथा सम्वत 2012 की जमाबंदी एवं गिरदावरी में उसका नाम दर्ज है। तो इस आधार पर उस व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 4 में यह लिखा है कि राजकीय भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जबकि विधि अनुसार यदि किसी भूमि के राजस्व रिकार्ड मे त्रुटिवश राजकीय/सिवायचक दर्ज हो गया हो उसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न होते है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2019 खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्शित जमाबन्दियों से भूमि हाल खसरा नम्बर 1799 सिवायचक दर्ज होना साबित है। कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते एवं विवादित भूमि वर्तमान में सिवायचक होकर राजकीय भूमि है इस भूमि पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना कानून सम्वत है। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्शित जमाबन्दियों से भूमि हाल खसरा नम्बर 1799 सिवायचक दर्ज होना साबित है। इस कारण राजकीय भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्शित जमाबन्दियों से भूमि हाल खसरा नम्बर 1799 सिवायचक दर्ज होना साबित है। कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते एवं विवादित भूमि वर्तमान में सिवायचक होकर राजकीय भूमि है इस भूमि पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना कानून सम्वत है। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्शित जमाबन्दियों से भूमि हाल खसरा नम्बर 1799 सिवायचक दर्ज होना साबित है। इस कारण राजकीय भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर